

# उत्तर रेलवे

## सूचना

श्री गोपाल यादव, वाणिज्यिक क्लर्क / मुजफ्फर नगर, पुत्र श्री हरीलाल यादव, जिनका अंतिम ज्ञात पता गाँव: साधू पुर, डाक घर: तरार, जिला: भागलपुर (बिहार) है, दिनांक 03.09.2012 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उसे बड़ी शास्ति का आरोप पत्र दिनांक 18.08.2015 को जारी किया गया था। जो उसके उक्त पते पर भेजा गया परन्तु श्री गोपाल यादव ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जांच अधिकारी ने अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत जाँच की परन्तु श्री गोपाल यादव जांच में शामिल नहीं हुए अतः जाँच अधिकारी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी गैरमौजूदगी में जाँच पूर्ण कर दी। श्री गोपाल यादव को जांच रिपोर्ट की प्रति उक्त पते पर दिनांक 16.03.2018 और 26.04.2018 को भेजी गई, परन्तु उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए श्री गोपाल यादव को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की यदि वह इस अनुशासन एवं अपील नियम कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन देना चाहता है, तो **15 दिन के अंदर** दे दे। यदि इसके लिए उसे किसी प्रलेख की आवश्यकता है तो वह मुख्य कार्यालय अधीक्षक (वाणिज्य शाखा), मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली से संपर्क करें। यदि **15 दिनों के अंदर** कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो, अनुशासिक अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों के आधार पर एक तरफा फैसला ले लिया जाएगा।

2045/2018

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ